रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 144] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 12, 1996/श्रावण 21, 1918
No. 144] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 12, 1996/SRAVANA 21, 1918

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना सं. 365 (पी. एन.)/92—97

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1996

फा. सं. 61/18/94/ई.-2.—सार्वजनिक सूचना संख्या-75/निर्यात (पी एन)/92—97 दिनांक 8 दिसम्बर, 95 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके द्वारा उक्त सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक में उल्लिखित हर्ट-वुड़ चिप्स, मिश्रित चिप्स, संदलवुड़ वर्गों के फ्लेक्स सैपवुड़ और संदलवुड़ चूर्ण और तेल निकाले हुए चूर्ण के रूप में चन्दन की लकड़ी के निर्यात से संबंधित शर्तें एवं इस संबंध में अपनाई जाने वाली कार्यविधियों को विनिर्दिष्ट किया गया था । सार्वजनिक सूचना सं.81 (पी एन)/निर्यात/92—97 दिनांक 25 मार्च, 1996 की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके द्वारा दिनांक 8 दिसम्बर,1995 की सार्वजनिक सूचना संख्या 75 के पैरा-5 में उल्लिखित तारीख 31 मार्च, 1996 को संशोधित करके 30 जून, 1996 पढ़ा जाना था ।

2. महानिदेशक, विदेश व्यापार, एतद्द्वारा सार्वजनिक सूचना सं. 81, दिनांक 25 मार्च, 1996 द्वारा संशोधित सार्वजनिक सूचना संख्या-75, दिनांक 8 दिसम्बर, 1995 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जिसके द्वारा उक्त सार्वजनिक सूचना की कार्यावधि को 30 जून, 1996 तक बढ़ाया गया था ।

"संशोधित सार्वजनिक सूचना संख्या 75 दिनांक 8 दिसम्बर, 1995 के पैरा-5 में उल्लिखित तारीख 30 जून, 1996 को संशोधित करके 30 सितम्बर, 1996 पढ़ा जाएगा ।"

3. उपर्युक्त सार्वजनिक सूचना में उल्लिखित अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी ।

4. इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

श्यामल घोष, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE NO. 365(PN)/92—97

New Delhi, the 12th August, 1996

F. No. 61/18/94/E-II.—Attention is invited to the Public Notice No. 75/EXP(PN)/92—97 dated 8th December, 1995, whereby the conditions and procedures to be followed in respect of the export of Sandalwood in the form of heart-wood chips, mixed chips, flakes of the Sandalwood classes mentioned in the Annexure to the said Public Notice, Sapwood

and Sandalwood dust and de-oiled spent dust were specified. Attention is also invited to the Public Notice No. 81 (PN)/ EXP/92—97 dated the 25th March, 1996, whereby the date of 31st March, 1996 appearing in Paragraph 5 of the Public Notice No. 75 dated 8th December 1995, was amended to read as 30th June, 1996.

2. The Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in the Public Notice No. 75 dated 8th December, 1995, amended vide Public Notice No. 81 dated 25th March, 1996 extending the operation of the said Public Notice upto 30th June, 1996 :—

"The date of 30th June, 1996 appearing in Paragraph 5 of the amended Public Notice No. 75 dated 8th December, 1995 shall be further amended to read as 30th September, 1996".

3. All other conditions of the abovementioned Public Notice shall remain unchanged.

4. This issues in public interest.

SHYAMAL GHOSH, Director General of Foreign Trade

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996